

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मई, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल, 1994 (चैत्र 18, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सुभाष यादव, उपमुख्य मंत्री, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, उत्तर एवं बोर्ड की टिप्पणी वर्ष 1990-91 (अनुभाग-एक) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री नोबेल कुमार वर्मा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, सदस्य रायगढ़ के पातरापाली स्थित जिन्दल स्ट्रिप्स कारखाने में दुर्घटना से कई श्रमिकों की मृत्यु होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के अनेक क्षेत्रों में कृषकों को निस्तार हेतु लकड़ी न दिये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री ओंकार सिंह बिसेन, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम-कोस्ते में स्टापडेम बनाने,

(2) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, देवास जिले के ग्राम-सिरसोदिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम-धोरका के किसानों को जमीन का मुआवजा दिलवाये जाने,

(4) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल शहर के द्वारका नगर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय को हाईस्कूल में उन्नत करने,

(5) श्री प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, जबलपुर जिले के सिहोरा नगर में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करने,

(6) डॉ. दाल सिंह बिसेन, सदस्य -

- (क) सिवनी जिले के ग्राम-बोरी के पांडरिया तालाब की मरम्मत किये जाने,
- (ख) सिवनी जिले के ग्राम-कोस्मी में कृषि भूमि की सिंचाई अरी टैंक की नहर से करने, तथा
- (ग) सिवनी जिले के ग्राम-पाथर फोड़ी से बोरी तक सड़क एवं पुल बनवाने,

(7) श्री बल्लूलाल तेकाम, सदस्य -

- (क) मण्डला जिले के ग्राम अतरिया एवं सुन्हेहरा में पानी की समस्या का निदान किये जाने,
- (ख) मण्डला जिले के ग्राम ब्लाक टोला को वन ग्राम घोषित कर कब्जाधारियों को कब्जे की भूमि का पट्टा दिलाये जाने, तथा
- (ग) मण्डला जिले के ग्राम मजगांव के दयहान टोला में पानी की समस्या का निदान किये जाने,

के संबंध में याचिकाएँ प्रस्तुत करेंगे.

5. वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

निर्धारित समय

6. अशासकीय संकल्प

(1) श्री करणसिंह वर्मा, युवराज तुकोजीराव पवार, श्री सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश के धर्म स्थलों की व्यवस्था, रख-रखाव हेतु "राज्य धर्मस्व मण्डल" का गठन किया जाय".

(2) श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. " सदन का यह मत है कि पश्चिम पाकिस्तान से मध्यप्रदेश में आये ऐसे विस्थापित सिंधी परिवार, जिनको धारित भूमि के पट्टे अभी तक नहीं दिये गये हैं, के प्रकरणों का निपटारा कर उन्हें तीन माह के भीतर स्थाई पट्टे दिये जाय".

(3) श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. "सदन का यह मत है कि रायगढ़ जिले को सीधी ट्रेन सेवा से भोपाल से जोड़े जाने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाय".

(4) श्री रविन्द चौबे, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. " सदन का यह मत है कि किसानों को सिंचाई हेतु विद्युत पंप कनेक्शन निश्चित समयावधि में ही प्रदान किया जाय".

(5) श्री रामकिशोर शुक्ल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. " सदन का यह मत है कि भोपाल से व्हाया जबलपुर, कटनी, ब्यौहारी, चोपन को द्रुतगति रेल सेवा से जोड़े जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जावे".

7. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

(1) दिनांक 22 फरवरी 1994 को उपमुख्य मंत्री, राजस्व से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 580) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 4 मार्च 1994 को लोक निर्माण, मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्रमांक 1882) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री दिलीप भट्टेरे, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

शीला खन्ना

भोपाल :

दिनांक : 7 अप्रैल, 1994

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा